Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, FEB-MAR, 2023, VOL-11/56

नारी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

आलोक कृष्ण द्विवेदी, Ph.D.
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, कॉलेज ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नॉएडा

Paper Received On: 18 MAR 2023
Peer Reviewed On: 31 MAR 2023
Published On: 1 APRIL 2023

Abstract

शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कहा जाता है कि यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाये तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दियाजाये तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात् एक महिला का शिक्षित होना उसके पूरे परिवार की शिक्षा और कल्याण से जुड़ा है। परिवार में महिला शिक्षा से बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इसीलिए भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी एवं पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में बताया गया है कि शिक्षा किस प्रकार हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में भी सहायक होती है ।

मुख्य बिंदु- महिला सशक्तिकरण, शिक्षा

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना-

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से अभिमुख होता है।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना और सिखाना। 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। **व्यापक अर्थ में शिक्षा** किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है, जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। **संकुचित अर्थ में शिक्षा** किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है।

शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कहा जाता है कि यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाये तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दियाजाये तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। अर्थात् एक महिला का शिक्षित होना उसके पूरे परिवार की शिक्षा और

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

कल्याण से जुड़ा है। परिवार में महिला शिक्षा से बच्चे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इसीलिए भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा अधिकारों के प्रति उदासीनता, आर्थिक निर्भरता, तकनीकी एवं पुरुषों का महिलाओं पर प्रभुत्व आदि समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में बताया गया है कि शिक्षा किस प्रकार हर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में भी सहायक होती है ।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ:

'महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओ से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारम्परिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरुक किया जाता है, जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्म-विश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त पर्यावरण की जरुरत है जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपना खुद का फैसला

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

ले सकें चाहे वो स्वयं, देश, परिवार या समाज किसी के लिए भी हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरुरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण वह है जिसमें महिला समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनती है।

गाँधीजी और महिला सशक्तिकरण:

महात्मा गाँधी के विचार महिला शिक्षा के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण पर भी प्रासांगिक हैं। गाँधीजी ने कहा कि ''महिलाएँ जिनको अपना श्रृंगार समझती हैं, उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने के बारे में मेरे विचार बड़े क्रान्तिकारी हैं। मुझे यकीन है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो एक दिन जब मेरी खोज पूरी हो जायेगी मैं अपने निष्कर्षों को जनता के सामने रख पाऊँगा। अपने अनुभव से मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि महिलाओं की असली तरक्की उनके अपने प्रयासों से ही हो सकती है।'' महिलाओं को पुरुषों कें बराबरी के मुद्दे पर गाँधीजी एकदम स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि ''हमारे लिए विचार करने की बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले हमारी महिलाओं की स्थिति हीन क्यों हो गयी है और पुरुष महिलाओं के प्रति हमेशा निष्पक्ष नहीं रहे हैं तथा खुद ही निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करने में भेदभाव करते रहे हैं।'' गाँधीजी के विचार उन्नीसवीं शताब्दी में महिला अधिकार एवं उनकी समस्याओं के प्रति एक कदम आगे बढ़कर है जो परिवार के परम्परागत ढाँचे में उनके दर्जे तक सीमित था। गाँधीजी भली-भाँति समझते थे कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की कोई भी बात करने से पहले हमारी महिलाओं को साहस और आत्म-विश्वास की आवश्यकता है। सदियों की दासता से पैदा हुई दास मनोवृत्ति की बेड़ियों को तोड़ने कें लिए आत्म सम्मान की भावना को वे बहुत ही आवश्यक मानते थे। उन्होंने देखा कि अगर

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

महिलाओं की दशा में बदलाव लाना है तो शिक्षा, सामाजिक सुधार और अर्थनीति व राजनीति को देश की प्रतिभा के अनुरूप बनाना होगा। गाँधीजी चाहते थे कि महिलाएँ अन्याय का मुकाबला अन्याय और हिंसा से करने की बजाय अपनी आन्तरिक शक्ति और क्षमता का विकास करें। उन्होंने भारतीय महिलाओं को भय से मुक्त किया।

मुम्बई में 1919 में गाँधीजी ने विकास में महिलाओं की सहभागिता पर महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि, ''आप लोगों में जो लोग शिक्षित हैं, उन्होने अखबारों में स्वदेशी की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद मैं जो बात बार-बार कह रहा हूँ वह इस प्रकार है: जब तक भारत में महिलाएँ दुनिया के मामलों में पुरुषों कें साथ विश्व मामलों और धार्मिक व राजनीतिक मामलों में बराबरी की हिस्सेदारी निभाना शुरू नहीं करती, भारत का सितारा बुलन्द नहीं होगा। एक उदाहरण से यह बात साफ हो जायेगी। शरीर के एक हिस्से के लकवाग्रस्त हो जाने से ऐसा व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरह अगर महिलाएँ पुरुषों के कार्य में भागीदार नहीं हैं तो देश का दुर्गति की हालत में रहना एक तरह स तय है। गाँधीजी उत्कृष्ट कोटि के महिलावादी थे, इसलिए महिलाओं के आन्तरिक गुण, धैर्य तथा आस्था कासत्य प्राप्त करने के लिए इन गुणों को अपनाया, और यही सत्याग्रह है। गाँधीजी महिलाओं कोसमाज का एक ऐसा अंग मानते थे जो पुरुषों की तरह अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने में सक्षम था। गाँधीजी के लिए महिलाएँ बेजुबान और गुमनाम महिला शक्ति मात्र नहीं थी, जिनमें शक्ति का संचार किया जाना जरूरी था, बल्कि उनके लिए महिलाएँ उच्चतर मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, ममता और बलिदान का प्रतीक थीं। वे उन्हें महज घर की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु या गृहस्थी की चक्की में पिसती रहने वाली सदस्य नहीं मानते थे। गाँधीजी का कहना था, ''मैं महिलाओं की घरेलू दासता को हमारे वहशीपन की निशानी मानता हूँ। मेरी राय में

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

रसोईघर की दासता केवल बर्बरता का ही अवशिष्ट रूप है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को इस दासता से मुक्त कराया जाये। महिलाओं का सारा समय सिर्फ घरेलू काम में नहीं बीतना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका:

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है, तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है पर सामाजिक सशक्तिकरण की चर्चा नहीं होती ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। उन्हें सिर्फ पुरुषों से ही नहीं बल्कि जातीय संरचना में भी सबसे पीछे रखा गया है। इन परिस्थितियों में उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात बेमानी लगती है, भले ही उन्हें कई कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। महिलाओं का जब तक सामाजिक सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक वह अपने कानूनी अधिकारों का समुचित उपयोग नहीं कर सकेंगी, सामाजिक अधिकार या समानता एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रतिगामी ताकतें सामाजिक यथास्थितिवाद को बढ़ावा देती हैं और कभी-कभी तो वह सामाजिक विकास को पीछे ढकेलती हैं।प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया क्या हो सकता है? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिन है। शिक्षा एक ऐसा कारगर हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है, समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ शिक्षित व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है।

शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है। इसलिए माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, दक्षता एवं क्षमताओं का विकास होता है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इससे महिलाओं के शोषण को रोकने में मदद मिलेगी। स्वनिर्णय लेने की

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

क्षमता, सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सम्बन्ध है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा अन्य पक्षों जैसे समाज, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ रखना आवश्यक है। इसलिए भारत में महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरुकता एवं विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि हमारा आने वाला समय तभी सुहावना होगा, जब महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जागरुकता की दृष्टि से सशक्त करने की सार्थक पहल होगी और उनको पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त होगा तथा वे अपनी अर्न्तप्रहित शक्तियों का सदुपयोग कर राष्ट्र के विकास में भागीदार बन सकेंगी।

नोबल पुरस्कार प्राप्त प्रो0 अमर्त्य सेन का कथन है कि यदि सबके लिए बुनियादी शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाये तो विश्व में निश्चित ही बदलाव लाया जा सकता है।भारत की पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने कहा ‘‘मैं शिक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और प्रत्येक शख्स स्त्री-पुरुष, लड़का-लड़की को आधुनिक शिक्षा से लाभान्वित होते देखना चाहती हूँ।’’

हमारे संविधानके अनुच्छेद 15(1)ए, 16(1) एवं 16(2) में उल्लेख है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान की धारा 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दसवीं योजना में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से उजागर होती है। योजना के दस्तावेज में उल्लिखित है, ‘‘दसवीं योजना के अन्तर्गत महिला घटक योजना एवं जेण्डर बजटिंग की इन प्रभावी संकल्पनाओं को एक साथ जोड़ने के लिए तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी, ताकि वे एक-दूसरे के प्रति पूरक भूमिका अदा कर सकें तथा इस प्रकार निवारण एवं कार्योत्तर कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके और इसके फलस्वरूप

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

महिलाओं को महिला सम्बन्धी सभी सामान्य विकासात्मक क्षेत्रों में अपना उचित हिस्सा प्राप्त हो सके।''

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भगीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तरह सुरक्षा व प्रजनन अधिकारों आदि को सम्मिलित किया जाना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, जिसमें महिलाओं को जागरुक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी साधनों को उपलब्ध कराया जाये, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और महिला-पुरुष समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। महिला सशक्तिकरण का आशय महिला को अपने सम्मान, स्व-अधिकारों एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है जिससे महिलाओं को घर एवं बाहर दोनों में सुरक्षित करना है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं में जागरुकता लाना एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ताकि वे स्वयं को आत्मनिर्भर समझ सकें। सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करना, सशक्तिकरण केवल शक्ति का अधिग्रहण नहीं है बल्कि शक्ति का उपयोग करना है। महिलाओं को हाशिये से हटाकर समाज की मुख्य धारा में लाना और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना ही सशक्तिकरण है।

समाज में महिला भयमुक्त होकर कहीं भी आ-जा सके, बिना सम्मान खोये अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके एवं उनकी इच्छा-अनिच्छा की समाज में कदर की जाये, उसे अपना वाजिब हक मिले, देश की प्रगति में इसका पर्याप्त योगदान हो तो हम कह सकते है कि महिला सशक्त हो गयी।जिस समाज व राष्ट्र की महिलाएँ सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, वह राष्ट्र अवश्य ही विकास

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

के पथ पर अग्रसर होगा। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्म शक्ति को सुनिश्चित करना है। सशक्तिकरण का प्रमुख आधार शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ मात्रा साक्षरता न होकर चिन्तन शक्ति एवं व्यक्तित्व का विकास है। शिक्षा जीवन के अनुभवों के सतत् पुनर्निर्माण के माध्यम से जीवन की प्रक्रिया है, यह मनुष्य में उन समस्त क्षमताओं का विकास करती है, जिसके द्वारा वह स्वयं अपने परिवेश को नियंत्रित करता है और अपनी उपलब्धियों की सम्भावनाओ को पूर्ण करता है। शिक्षा के माध्यम से ही महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में न केवल स्वयं को सबल बना सकती है अपितु अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर समाज में अपनी स्वतन्त्रता पहचान भी बना सकती है। शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण की योजना कल्पनीय ही होगी। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जायेगी और उन्हें इस काबिल बनाया जायेगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण द्वारा ही राष्ट्र एवं समाज का विकास उसके इतिहास, मातृ भाषा, शिक्षा, महिला शिक्षा प्रगति एवं समृद्धि के आधार पर परिलक्षित होता है। समाज के विकास में महिलाओं की अहम् भूमिका होती है। इसलिए महिलाओं को समाज की रचनात्मक शक्ति कहा जाता है। ताकि राष्ट्र के विकास के साथ राष्ट्र के कर्णधारों को आदर्श व्यक्तित्व गुणों से पुष्ट करने वाली महिलाओं को समाज में पूर्ण सम्मान प्राप्त हो। साथ ही प्रत्येक स्तर पर गुणात्मकता के साथ परिणामात्मक सहभागिता भी प्राप्त हो। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है। इसलिए माना जाता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, दक्षता एवं क्षमताओं का विकास होता है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक विकास में तीव गति लाकर

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

महिलाओं में सशक्तिकरण लाया जा सकता है। कानूनी प्रयास भी तभी सफल होंगे, जब समाज से सम्पूर्ण सोच और पूर्वाग्रह की घटनाओं में बदलाव आये। जन-मानस को शिक्षा के माध्यम से जागृत किया जाय। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण की योजना कल्पनीय होगी। अर्थात् महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता अहम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

अग्रवाल, जे0सी0: 'शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक आधार'', अग्रवाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली *2013-2014*

मुछाल, महेश कुमार: ''महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण'', परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष *17*, अंक *3*, दिसम्बर *2010*

पाटले, अमृत: ''महिला सशक्तिकरण में सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा का प्रभाव'', परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, वर्ष *16*, अंक *3*, दिसम्बर *2009*

सिंह, सविता: ''गाँधी और महिला सशक्तिकरण'', रोजगार समाचार, अंक *26*, *28* सितम्बर से *4* अक्टूबर, *2002*

देवपुरा, प्रतापमल: ''महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्त्व'', कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष *54*, अंक *5*, मार्च *2008*

द्विवेदी, पूनम: ''महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून'', कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष *52*, अंक *5*, मार्च *2006*

गुप्ता, अंजलि: ''महिलाओं की स्थिति पर वैश्वीकरण का प्रभाव'', कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष *52*, अंक *5*, मार्च *2006*

कुमार, दिनेश एवं भूषण, बजरंग: ''महिला सशक्तिकरण'', कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, वर्ष *51*, अंक *5*, मार्च *2006*

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language